कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ0प्र0,

संख्या–एम0ई0–3 / पीजी–2022 / 2636 लखनऊ,दिनांक 18 /11 /2022

यू0पी0 नीट पी0जी0–2022 के अन्तर्गत त्याग–पत्र के संबंध मे आवश्यक सूचना

नीट पी0जी0–2022 के अन्तर्गत आल इण्डिया की द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियो द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेशोपरान्त त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे अनेको प्रकार की पृच्छाएं(Queries) कार्यालय मे प्राप्त हो रही है कि वह अपनी सीट से त्याग–पत्र दे सकते है अथवा नहीं।

इस संबंध मे समस्त अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या–267 / 2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नवत् है :–

After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats.This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filed by students from the all India merit list only

उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली मे योजित रिट याचिका संख्या:174 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 में निम्नवत् निर्देश दिये गये है :–

(v) In line with the regulations which have been notified on 5 April 2018, students who have joind in round 2 of the state quota or round 2 of the AIQ shall not be eligible to participate in the mop-up round for All India Quota.

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो के अनुपालन के दृष्टिगत प्रथम व द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं है। फिर भी यदि अभ्यर्थी द्वारा त्याग–पत्र देकर सीट रिक्त करता है, तो यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 के नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 23.9.2022 के प्रस्तर–8(ख) व (ग) मे निहित व्यवस्थानुसार अभ्यर्थी द्वारा जमा शिक्षण–शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही बाण्ड (राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु) भी प्रभावी हो जायेगा।

महानिदेशक।